प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01295/2023-2024

दिनांक 22/08/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/AGR/05721/2023-2024

पत्रावली संख्या:Ag-34197 दिनांक:2008-2009

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **भीकाराम शिक्षा समिति, अजीतपुरम नगला कली जिला–आगरा, आगरा , 282009** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1051/2003-2004 दिनांक-21/08/2008 को दिनांक-21/08/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
9BC4528D9A6C1D4DD21716B4109C82B9FC238CBD
Date: 22/08/2023 6:34:19 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-22/08/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP95407104400657V

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

HARIOM VERMA
Stamp Vender
Licence No.:- 15
E-Stamping Acc-ID UP-14556404
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP95407104400657V
Certificate Issued Date	:	23-Aug-2023 02:56 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14556404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14556404864177947067 74V
Purchased by	:	BHEEKARAM SHIKSHA SAMITI AGRA
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BHEEKARAM SHIKSHA SAMITI AGRA
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	BHEEKARAM SHIKSHA SAMITI AGRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर भीका राम शिक्षा समिति,
जिला आगरा फाइल नं० AG 34197
संशो० नियमावली, ... से संलग्न है

fr. Kuldip
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
02-09-23

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

संशो0 नियमावली

1.–संस्था का नाम– **भीका राम शिक्षा समिति।**

2–संस्था का पता– **अजीत पुरम नगला कली आगरा।**

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

4–संस्था के उद्‌देश्य – संलग्नक स्मृति–पत्र के अंकितानुसार होगें।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्‌देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य प्रबन्धसमिति के पूर्ण बहुमत से प्रबन्धक/सचिव द्वारा बनाये जा सकेगें ।

सदस्य निम्न वर्ग के होगें –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 11000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वें इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5000/–रू0सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 1000/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6–सदस्यता की समाप्ति–1– मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2– सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

3–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।

4–किसी सदस्य के विरूद्ध 3/4 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का पास होने पर।

5–त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर

6–न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

7–संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7–संस्था के अंग– 1– साधारण सभा । 2–प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा–<u>गठन</u>– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

<u>बैठकें</u>– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

<u>सूचना–अवधि</u>–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

<u>गणपूर्ति</u>–गणपूर्ति के लियें कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

सत्य प्रतिलिपि
02.09.23
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Virendra Kumar

ps

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जावेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर निर्वाचन सम्पन्न कराना ।
2–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।
3–संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करवाना।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा, प्रबन्धकारिणी समिति एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढाई जा सकती है ।

बैठकें–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।

2–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

3–संस्था के वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों, बैंकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एंव चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु जगह–जगह जिला स्तर पर अपनी इकाईयां व फेन्चाईजी, स्थापित । स्थापित शाखाओं के लिये उपसमितियों गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयों/ उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

6–संस्था द्वारा संचालित इन्स्टीट्शन/कालेज के विकासार्थ संस्था की ओर समस्त अचल चल सम्पत्तियों को बन्धक/गिरवी रखने एवं ऋण हेतु समस्त कार्यवाही करने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव को होगा ।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

Rundgal

विमला देवी

गिर्राज किशोर रावत

Virendra Kumar

सत्य प्रतिलिपि
02.09.23
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष – संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति, साधारण सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना ।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना उपस्थिति में कार्यो में सहयोग देना ।

प्रबन्धक / सचिव–

1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2–संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

3–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना ।

4–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

5–संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों / विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, एवं उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान, उनकी सेवा के नियम बनाकर आदि कार्यवाही कर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना ।

6–संस्था के समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों, बन्धक विलेखों, बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

7–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक / उपसचिव–

संस्था के प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपें गये कार्यों को करना एंव उपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष– 1–संस्था के आय–व्यय का विवरण रखना।
2–संस्था प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों को करना ।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 3/4 बहुमत से करना ।

12--संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक / सचिव के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा ।

14–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक / सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

प्रधान सहायक 02.09.22
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

विमला देवी गिर्राज किशोर रावत Virendra Kumar

15–संस्था द्वारा लिये गये ऋण एवं उसकी जमानत के सम्बन्ध में–

संस्था द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी करने का सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पर प्रबन्धसमिति के सभी सदस्यों पर होगा यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक कि ऋणदाता के पूर्ण ऋण की अदायगी न हो जाय चाहे भले ही सदस्य संस्था से प्रथक ही क्यों न हो गया हो । संस्था का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अपनी निजी अचल सम्पत्ति का बन्धक/सम्यक बन्धक कर सकेंगे ।

16–संस्था के अभिलेखः–1–सदस्यता रजिस्टर । 2–कार्यवाही रजिस्टर । 3–एजेण्डा रजिस्टर । 4–स्टाक रजिस्टर। 5–कैशबुक आदि ।

17–प्रतिबन्ध–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(ख) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन कई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ड़) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी ।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(ञ) उपर्युक्त कम क से झ में कोई परिवर्तन /संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति से नहीं किया जायेगा ।

18–संस्था का विघटन–यदि दुभाग्यश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा–13 व 14 के अर्न्तगत की जावेगी।

दिनॉक–

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
Kuldeep 02.09.23
प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Rimdyal विमला देवी गिर्राज किशोर रावत Virendra kumar

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

HARIOM VERMA
Stamp Vender
Licence No. :-15
E-Stamping Acc-ID UP-14556404
Kailashpuri, Agra

Certificate No.	:	IN-UP06276499924605V
Certificate Issued Date	:	13-Jan-2023 11:50 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14556404/ AGRA SADAR/ UP-AGR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1455640406150905477027V
Purchased by	:	BHEEKARAM SHIKSHA SAMITI AGRA
Description of Document	:	Article 19 Certificate or other Document
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BHEEKARAM SHIKSHA SAMITI AGRA
Second Party	:	UPRFSC
Stamp Duty Paid By	:	BHEEKARAM SHIKSHA SAMITI AGRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह बन्दख स्टाम्प पेपर भीकाराम शिक्षा समिति,
जिला आगरा फाइल नं० के साथ अवलम्ब है। 34197
5-D-ए-नी 2022-23

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
13-1-23

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

...काराम शिक्षा समिति, अजीतपुरम नगला कली जिला–आगरा की कार्यकारिणी समिति की सूची वर्ष 2022–2023

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती विमला देवी पत्नीश्री भीकाराम मुदगल	नगला कली जिला–आगरा	अध्यक्ष	गृहकार्य
2–श्री गिर्राज किशोर रावत पुत्रश्री शिवचरन रावत	कहरई प्रतापपुरा जिला–आगरा	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
3–श्री प्रमोद कुमार मुदगल पुत्रस्व0श्री भीकाराम मुदगल	म0न0–3 बी आर इंटरर कालेज के पास नगला कली शमशाबाद रोड आगरा	प्रबन्धक / सचिव	कृषि
4–श्री कैलाश चन्द्र पुत्रश्री रामस्वरूप	शहरपुर फतेहाबाद जिला–आगरा	उपप्रबन्धक / उपसचिव	कृषि
5–श्री वीरेन्द्र कुमार वशिष्ठ पुत्रश्री रमेश चन्द्र	बाग राजपुर जिला–आगरा	कोषाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
6–श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्रश्री वीरेन्द्र कुमार	31 / 6126 / 2 राजपुर आगरा	सदस्य	व्यापार
7–श्री शिवदत्त पुत्रश्री भागीराम	मडायना फतेहाबाद आगरा	सदस्य	कृषि
8–श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्रश्री रमाशंकर	बाग राजपुर फतेहाबाद आगरा	सदस्य	कृषि
9–श्री अनिल कुमार पुत्रश्री भूरी सिंह	फतेहाबाद जिला–आगरा	सदस्य	कृषि

सहायक उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, सत्यमेव जयते, आगरा

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
1/1-23

PMudgal   विमला देवी   Virendra Kumar   गिर्राज किशोर रावत

Rakesh Kumar

क्षेत्रीय कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, 339 / 12ए, आवास विकास कालोनी सिकन्दरा योजना, आगरा।

(९)

संख्या– 3825 Ag-34197 आगरा दिनांक– 10/1/23

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार मुदगल
म० नं०-वी० आर० डी० कालेज के पास
नाला काली शमशाबाद रोड आगरा

विषय– श्रीकाराम शिक्षा समिति, अरतिपुरा नाला काली आगरा
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्था की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष–2022–23 को इस शर्त के साथ पंजीकृत करली गयी है तथा सोसा0रजि0अधि0 की धारा 4बी के अन्तर्गत मूल अभिलेख एक माह में जमा करें। यदि आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों अभिलेखों में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने की बात भविष्य में प्रकाश में आती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा और पंजीकृत प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष–2022–23 पंजीकृत की तिथि से अमान्य एंव विधिशून्य होगा।

भवदीय

उपनिबन्धक
आगरा

क्षेत्रीय कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
339 / 12ए, आवास विकास कालोनी सिकन्दरा योजना, आगरा।

(1)

संख्या- 3825 Ag-34197 आगरा दिनांक- 10/1/23

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार मुदगल
म० न० -बी० आर० इंटर कालेज के पास
नाला काली शमशाबाद रोड आगरा

विषय– भीमराम शिक्षा समिति, अजीतपुरा नाला काली आगरा
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्था की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष–2022–23 को इस शर्त के साथ पंजीकृत करली गयी है तथा सोसा0रजि0अधि0 की धारा 4बी के अन्तर्गत मूल अभिलेख एक माह में जमा करें। यदि आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों अभिलेखों में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने की बात भविष्य में प्रकाश में आती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा और पंजीकृत प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष–2022–23 पंजीकृत की तिथि से अमान्य एंव विधिशून्य होगा।

भवदीय

उपनिबन्धक
आगरा

भारत सरकार
Government of India

प्रमोद कुमार मुदगल
Pramod Kumar Mudgal
जन्म तिथि / DOB : 30/10/1986
पुरुष / Male

5509 9347 7030

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
संबोधित: भीकाराम शर्मा, शमशाबाद मार्ग, नगला कली, सैमरी, सेमरी, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282009

Address:
S/O: Bhikaram Sharma, Shamshabad Road, Nagla Kali, Saimari, Semri, Agra, Uttar Pradesh, 282009

5509 9347 7030

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www
www.uidai.gov.in